गया, वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या3 से मु.न. 6 कि.न. 8 कुल 1 बीघा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा दिनांक 9.6.1982 को आराजी विक्रय की स्वीकृति लेकर कीमतन खरीद की हुयी है एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में दिनांक 23.7.92 को बैयनामा हुआ है एव द्वितीय बैयनामा के रोज मु.न. 6 के कि.न. 8 का बेचान हो चुका था एव प्रथम बैयनामा में विक्रयशुदा आराजी का पुनः बैयनामा उसी विक्रेता द्वारा नही किया जा सकता है जो कि पूर्व मे ही आराजी का बेचान कर चूका हो एव वादी के वाद पत्र मे दर्ज अभिकथनों का प्रतिवादीगण ने असालतन या वकालतन उपस्थित होकर विरोध नही किया है, वादी का बैयनामा दिनांक 9.6.1982 आज तक किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है जो कि आज भी प्रभावी रूप से लागू है एव वादी द्वारा पेश नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया एव पेश नजीर उक्त आनवानी वाद पत्र मे चस्पा होती है , जिसके मुताबिक सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 48 के अनूसार प्रथम बैयनामा जो पूर्ववर्ती हो में विक्रयशुदा आराजी के सम्बध में पश्चातवर्ती द्वितीय बैयनामा के लिये अधिकार एव स्वत्व हासिल नही होते है। इस प्रकार वादी ने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, बहस, एव साक्ष्य से बखूबी साबित किया है, अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 32 के एस डी के मु.न. 6 कि.न. 8 की 1 बीघा नहरी भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 को बैयनामा दिनांक 9.6.1982 के अनूसार ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एंव इस हद तक प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही वादी व प्रतिवादी सं. 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानूसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6·1·21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6·1·21

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned with CamScanner